04/08/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का मनन कर पाया कि अप्रार्थी सं. 01, 05, 06, 2/2 व 4 की तामील को एक माह से अधिक समय होने पर स्वं इनकी ओर से कोई उप० नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व मे पेश दिनांक 06/05/22 प्रा० पत्र आदेश 22 नियम 4 व आदेश 22 नियम 9 संपठित धारा 151 CPC प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9/1, के फौत होने पर तथा जिस पर आज दिनांक तक किसी अप्रार्थीगण / अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश नहीं करने पर प्रा० पत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। तथा वकील वादी के अनुरोध पर व वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब पेश न करने / आपत्ति पेश नहीं करने पर न्यायालय वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र आदेश 9 नियम 9 CPC को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:34 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.जे.एस.)
सिविल न्यायाधीश, जयपुर शहर

फर्द अहकाम

Acm JPR I

[कार्य]ालय

लक्ष्मा बनाम कु ऊषा

[वाद संख्]या संख्या / वर्ष

कार्यवाही 26/2019 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	नम्बर पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी वाद मे अप्रार्थी संख्या 7, 8 के वारिसान, 9/1/3 व शेष प्रतिवादीगण की तामील करवायें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04.08.22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।	

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.13 16:24:34 IST
Reason: SelfAttested